राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ ४(४८९) आकाशि/नि.सं./2007/

783

दिनांक:- 18-7-1

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुगोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2015—16 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण — पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:—

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संचालित विषय/संकाय
श्री करणी कन्या महाविद्यालय, नंगली सलेदी सिंह, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर/ राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित कला संकाय — भूगोल, हिन्दी साहित्य, अग्रेंजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान, लोकप्रशासन, अर्थशास्त्र। विज्ञान संकाय —भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र।

- 1. सम्बन्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- 2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- 3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- 4. संस्था को समय—समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- 5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरिंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- 6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
- 7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- 8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- 9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 10. संस्था प्रतिवर्ष आयुक्तालय / नजदीकी राजकीय महाविद्यालय / विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- 11. संस्था महाविद्यालय की Website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस Website address की सूचना देगी।
- 12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेवपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- 13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापित्त प्रमाण पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जावेगा।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

- 1. विशिष्ट सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 3. जिला कलेक्टर, झुन्झूनू।
- 4. कुल सचिव, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर/राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 5. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
- 6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 7. रक्षित पत्रावली ।

राजस्थान सरकार



आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ४ (४८९)आकाशि / नि.सं. / २००७ / ५५०

दिनांक:- 05-11-2020

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:--

संचालक संस्था		सम्बद्धक विश्वविद्यालय	नवीन विषय
श्री करणी कन्या उच्च शिक्षा संस्थान, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू।	महाविद्यालय, नंगली		स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल, हिन्दी साहित्य। (एम.ए.) रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र। (एम.एस.सी.)

संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेंगी।

2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।

3. संस्था को समय–समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।

4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।

संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।

संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।

संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।

8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।

10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2020—21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।

11. यदि संस्था की भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं है तो संस्था को स्थायी अनापितत प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में भू—रूपान्तरण आदेश कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

12. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।

13. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेवपोर्टल WWW.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

कॉलेज शिक्षा, राजस्थीन, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

- 1. विशिष्ट सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4. जिला कलेक्टर, झुन्झुनू।
- 5. कुल सचिव, पं0 दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- 6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
- 7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर